



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1661 वर्ष 2026

सुरेन्द्र कुमार

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 11 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : गिरीश चन्द्र मौर्या

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं० - 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उ०प्र० भूराजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क के अधीन लंबित कार्यवाहियों मामला सं० 452 वर्ष 2024 (कम्प्यूटराकृत मामला सं० टी202415060800420) (ओम प्रकाश राजभर बनाम हरीलाल) में, 20-12-2017 को याची द्वारा प्रत्यावर्तन आवेदन दाखिल किया गया है जो तबसे लंबित है। यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त के अलावा, 01-07-2024 को गांव सभा द्वारा एक दूसरा प्रत्यावर्तन आवेदन दाखिल किया गया है जो भी लंबित है। यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं० 3/उपखण्ड अधिकारी, मारतिनगंज जिला आजमगढ़ को पूर्वोक्त प्रत्यावर्तन आवेदनों एवं पूर्वोक्त मामले को शीघ्रता से तथा सर्वथा विधि के अनुसार लेकिन किसी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिये बिना विनिश्चय करने का निदेश दिये हुए वर्तमान याचिका को निपटाया जाता है।

जनवरी 21, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"